"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 मार्च 2007—चैत्र 2, शक 1929

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं संजय कुमार सिन्हा पिता श्री जे. एन. सिन्हा, उम्र 37 वर्ष निवासी सड़क नं. 25, क्वा. नं. 8/ए, नंदिनी नगर, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं तथा भिलाई इस्पात संयंत्र नंदिनी टाउनसिप में कार्यरत हूं. मैं अपने उपनाम सिन्हा को परिवर्तित कर संजय कुमार सिंह रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे संजय कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
संजय कुमार सिन्हा सड़क नं. 25, क्वा. नं. 8/ए, नंदिनी नगर, जिला दुर्ग (छ. ग.)	संजय कुमार सिंह सड़क नं. 25, क्वा. नं. 8/ए, नंदिनी नगर, जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं श्रीमती संध्या कुमारी सिन्हा पति श्री संजय कुमार सिन्हा, उम्र 32 वर्ष, निवासी सड़क नं. 25, क्वा. नं. 8/ए, नंदिनी नगर, जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. मैं अपने उपनाम सिन्हा को परिवर्तित कर श्रीमती संध्या कुमारी सिंह रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती संध्या कुमारी सिंह पति श्री संजय कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

श्रीमती संध्या कुमारी सिन्हा
पति- श्री संजय कुमार सिन्हा
सड़क नं. 25, क्वा. नं. 8/ए,
नंदिनी नगर,
जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती संध्या सिंह
पति- श्री संजय कुमार सिंह
सड़क नं. 25, क्वा. नं. 8/ए,
नंदिनी नगर,
जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं संजय कुमार सिन्हा पिता श्री जे. एन. सिन्हा, उम्र 37 वर्ष, निवासी सड़क नं. 25, क्वा. नं. 8/ए, नंदिनी नगर, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपनी पुत्री का उपनाम सिन्हा को परिवर्तित कर प्रियंका सिंह रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरी पुत्री को प्रियंका सिंह पिता संजय कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

प्रियंका कुमारी सिन्हा
पिता- श्री संजय कुमार सिन्हा
सड़क नं. 25, क्वा. नं. 8/ए,
नंदिनी नगर,
जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

प्रियंका सिंह
पिता- श्री संजय कुमार सिंह
सड़क नं. 25, क्वा. नं. 8/ए,
नंदिनी नगर,
जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं संजय कुमार सिन्हा पिता श्री जे. एन. सिन्हा, उम्र 37 वर्ष, निवासी सड़क नं. 25, क्वा. नं. 8/ए, नंदिनी नगर, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने पुत्र का उपनाम सिन्हा को परिवर्तित कर गौतम सिंह रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मेरे पुत्र को गौतम सिंह आत्मज श्री संजय कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

गौतम कुमार सिन्हा
पिता- श्री संजय कुमार सिन्हा
सड़क नं. 25, क्वो. नं. 8/ए,
नंदिनी नगर,
जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

गौतम सिंह
पिता- श्री संजय कुमार सिंह
सड़क नं. 25, क्वा. नं. 8/ए,
नंदिनी नगर,
जिला दुर्ग (छ. ग.).

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 8 फरवरी 2007

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की नियम 18 (1), (2) के अन्तर्गत

क्र./परिसमापन/2006/176.--इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/1750/बिलासपुर, दिनांक 21-6-95 के तहत सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्यादित मल्हार पंजीयन क्रमांक 3009 दिनांक 28-3-73 विकासखण्ड मस्तूरी जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत श्री बी. आर. यादव सहकारिता विस्तार अधिकारी मस्तूरी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था को परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बॉडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 8-2-2007 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 8 फरवरी 2007

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की नियम 18 (1), (2) के अन्तर्गत

क्र./परिसमापन/2007/177.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/1750/बिलासपुर, दिनांक 24-6-95 के तहत बढ़ई उद्योग सहकारी समिति मर्यादित जुनवानी पंजीयन क्रमांक 2804 दिनांक 24-8-64 विकासखण्ड मस्तूरी जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत श्री बी. आर. यादव सहकारिता विस्तार अधिकारी मस्तुरी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था को परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बॉडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 8-2-2007 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 8 फरवरी 2007

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की नियम 18 (1), (2) के अन्तर्गत

क्र./परिसमापन/2007/178.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/1750/बिलासपुर, दिनांक 24-6-95 के तहत प्रजापति कुम्हार उद्योग सहकारी समिति मर्यादित दर्रीघाट पंजीयन क्रमांक 2671 दिनांक 6-11-62 विकासखण्ड मस्तूरी जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत श्री बी. आर. यादव सहकारिता विस्तार अधिकारी मस्तूरी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था को परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बॉडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 8-2-2007 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 14 फरवरी 2007

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की नियम 18 (1), (2) के अन्तर्गत

क्र./परिसमापन/2007/195.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/7605/बिलासपुर, दिनांक 26-12-75 के तहत महाकौशल विश्वकर्मा बढ़ई उद्योग सहकारी समिति मर्यादित बिलासपुर पंजीयन क्रमांक 2604 दिनांक 28-9-60 विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत श्री जी. सूर्यनारायण सहकारिता विस्तार अधिकारी कोटा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था को परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बॉडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 14-2-2007 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 14 फरवरी 2007

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की नियम 18 (1), (2) के अन्तर्गत

क्र./परिसमापन/2007/195.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/7059/बिलासपुर, दिनांक 6-9-2005 के तहत नालंदा प्राथ. सह. उप. भंडार सहकारी समिति मर्यादित टिकरापारा पंजीयन क्रमांक 3618 दिनांक 24-2-95 विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत श्री जी. सूर्यनारायण सहकारिता विस्तार अधिकारी कोटा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था को परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बॉडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 14-2-2007 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 14 फरवरी 2007

क्र./परिसमापन/2007/197.—पंजीयन क्रमांक 145 दिनांक 6-5-2003 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 459 दिनांक 31-3-06 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर भू. वि. मजदूर स. स. जांजी को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सह. वि. अधि. मस्तूरी को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 14 फरवरी 2007

क्र./परिसमापन/2007/199.—पंजीयन क्रमांक 3495 दिनांक 16-11-92 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 191 दिनांक 8-2-06 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अतः संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर ईंट भट्टा सह. स. मर्या. दशरंगपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सह. वि. अधि. मुंगेली को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 14 फरवरी 2007

क्र./परिसमापन/2007/200.—पंजीयन क्रमांक 3114 दिनांक 17-5-85 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 192 दिनांक 8-2-06 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अतः संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर पत्थर खदान स. स. भैसबोड को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सह. वि. अधि. बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 15 फरवरी 2007

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की नियम 18 (1), (2) के अन्तर्गत

क्र./परिसमापन/2007/208.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/650/बिलासपुर, दिनांक 29-5-2006 के तहत महामाया साग सब्जी फलफूल सहकारी समिति मर्यादित रतनपुर पंजीयन क्रमांक 3811 दिनांक 14-10-96 विकासखण्ड कोटा जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत श्री जी. सूर्यनारायण सहकारिता विस्तार अधिकारी कोटा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था को परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बॉडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 14-2-2007 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 15 फरवरी 2007

क्र./परिसमापन/2007/209.—पंजीयन क्रमांक 3737 दिनांक 23-7-96 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1439 दिनांक 10-10-06 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अतः संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर आकांक्षा फुटपाथ व्य. साख बचत स. तारबहार बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री महेन्द्र बन्दे सह. निरी. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 24 फरवरी 2007

क्र./परिसमापन/2007/264.—पंजीयन क्रमांक 3142 दिनांक 26-10-85 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 198 दिनांक 8-2-06 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अतः संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर दुग्ध उत्पा. स. स. जरहागांव को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सह. वि. अधि. मुंगेली को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 24 फरवरी 2007

क्र./परिसमापन/2007/265.—पंजीयन क्रमांक 3561 दिनांक 22-12-94 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 19 दिनांक 9-1-06 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अतः संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर गंगा सागर मछुआ स. स. लखराम को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सह. वि. अधि. बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 24 फरवरी 2007

क्र./परिसमापन/2007/266.—पंजीयन क्रमांक 3706 दिनांक 22-12-95 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1535 दिनांक 8-12-05 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अतः संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर गुरु नानक प्राथ. स. उ. भंडार बिल्हा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सह. वि. अधि. बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 24 फरवरी 2007

क्र./परिसमापन/2007/267.—पंजीयन क्रमांक 3145 दिनांक 26-10-85 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 199 दिनांक 8-2-06 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर दुग्ध उत्पा. सह. स. दशरंगपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहं. वि. अधि. मुंगेली को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 24 फरवरी 2007

क्र./परिसमापन/2007/268.—पंजीयन क्रमांक 3726 दिनांक 18-4-96 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 458 दिनांक 31-3-06 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर दुग्ध उत्पा. सह. स. पर्थरा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सह. वि. अधि. लोरमी को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 24 फरवरी 2007

क्र./परिसमापन/2007/269.—पंजीयन क्रमांक 3794 दिनांक 28-9-96 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 475 दिनांक 31-3-06 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर महामाया गौण खनिज स. स. सांवतपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सह. वि. अधि. पथरिया को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 2 मार्च 2007

क्र./परिसमापन/2007/316.—पंजीयन क्रमांक 123 दिनांक 21-11-01 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1045 दिनांक 5-8-06 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर जय दुर्गा कामगार स. बरेला को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सह. वि. अधि. मुंगेली को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 2 मार्च 2007

क्र./परिसमापन/2007/317.—पंजीयन क्रमांक 3759 दिनांक 17-9-96 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1046 दिनांक 5-8-06 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर खदान कामगार स. स. मुंगेली/बरेला को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सह. वि. अधि. मुंगेली को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 2 मार्च 2007

क्र./परिसमापन/2007/318.—पंजीयन क्रमांक 3757 दिनांक 17-9-96 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1047 दिनांक 5-8-06 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर खदान कामगार स. स. सोनपुरी को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सह. वि. अधि. मुंगेली को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 2 मार्च 2007

क्र./परिसमापन/2007/319.—पंजीयन क्रमांक 117 दिनांक 13-8-2001 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1009 दिनांक 31-7-06 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर खपरा उद्योग स. स. मोहतरा कुर्मी को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सह. वि. अधि. लोरमी को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 2 मार्च 2007

क्र./परिसमापन/2007/320.—पंजीयन क्रमांक 3900 दिनांक 7-7-98 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1043 दिनांक 5-8-06 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर खदान कामगार स. खर्राघाट को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सह. वि. अधि. मुंगेली को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 7 मार्च 2007

क्र./परिसमापन/2007/340.—पंजीयन क्रमांक 3149 दिनांक 26-10-85 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 193 दिनांक 8-2-06 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर दुग्ध उत्पा. स. स. गिधा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सह. वि. अधि. मुंगेली को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 7 मार्च 2007.

क्र./परिसमापन/2007/341.—पंजीयन क्रमांक 2120 दिनांक 29-10-84 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1007 दिनांक 31-7-06 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर आदिमजाति मानस कल्या. स. गिरारी को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सह. वि. अधि. पेन्ड्रा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 7 मार्च 2007

क्र./परिसमापन/2007/342.—पंजीयन क्रमांक 3339 दिनांक 23-9-96 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1004 दिनांक 31-7-06 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर गौण खनिज सह. स. चिचगोहना को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सह. वि. अधि. मरवाही को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 7 मार्च 2007

क्र./परिसमापन/2007/343.—पंजीयन क्रमांक 183 दिनांक 17-12-04 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 474 दिनांक 31-3-06 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर महिला बहु. सह. स. मुरू को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सह. वि. अधि. तखतपुर को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 7 मार्च 2007

क्र./परिसमापन/2007/344.—पंजीयन क्रमांक 3797 दिनांक 1-10-96 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 457 दिनांक 31-3-06 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर रेत पत्थर खदान स. स. अमेरीकापा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सह. वि. अधि. बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

डी. आर. ठाकुर,
सहायक पंजीयक.

बिलासपुर, दिनांक 1 मार्च 2007

क्र./परिसमापन/2007/305.—पंजीयन क्रमांक 93 दिनांक 14-3-97 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक .... दिनांक .... द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं सी. एल. ध्रुव संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर कृषि कर्म. गृह निर्माण स. राजेन्द्रनगर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री एम. आर. खैरवार स. नि. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

सी. एल. ध्रुव,
संयुक्त पंजीयक.

कार्यालय, परिसमापक सहकारी समिति मर्यादित, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 9 फरवरी 2007

क्रमांक/परिसमापन/07/Q.—छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के उपनियम 57 (5) के तहत परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है कि निम्नांकित सहकारी संस्थाओं के दावेदार/लेनदार अपने दावेमय लिखित में प्रमाण 60 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावें मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाहीं की जावेगी.

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक	स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	म्युनिसिपल हरिजन कर्मचारी थ्रिप्ट सहकारी समिति मर्यादित, बिलासपुर.	435/6-12-05	शोभा बन्दे	संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	गुरु घासीदास प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार गुरु घासीदास नगर.	3615/24-2-95	शोभा बन्दे	संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
3.	माँ दुर्गा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार भक्त कंवर राम नगर, बिलासपुर.	3594/10-2-95	--,,--	--,,--

शोभा बन्दे,
परिसमापक एवं सहकारी
निरीक्षक.

बिलासपुर, दिनांक 13 फरवरी 2007

क्रमांक/परिसमापन/07/Q.—छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के उपनियम 57 (5) के तहत परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है कि निम्नांकित सहकारी संस्थाओं के दावेदार/लेनदार अपने दावेमय लिखित में प्रमाण 60 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक	स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सिंधु प्राथमिक सहकारी उप. भंडार भक्त कंवर नगर, बिलासपुर.	3491/7-8-92	महेन्द्र बन्दे	संयुक्त पंजीयक सह. संस्थाएं, बिलासपुर. (छ. ग.)
2.	शास. स्नातक महाविद्यालय सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., बिलासपुर.	3031/29-1-76	--,,--	--,,--

महेन्द्र बन्दे,
सह. निरी. एवं परिसमापक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.